भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 832

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

क्षय रोग के मामलों पर शोध

832. श्री ससिकांत सेंथिल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसे शोध अध्ययनों की जानकारी है, जिनमें सर्वाधिक संख्या में क्षय रोग से पीड़ित देश को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 और 2040 के बीच 62 मिलियन नए टीबी के मामले और 8.1 मिलियन मौतें होने का अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त मामलों का पता लगाने की दरों में सुधार करने और विश्व स्वास्थ्य संगठन के 90 प्रतिशत मामलों का पता लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी क्षय रोग उपचार व्यवस्था को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार 95 प्रतिशत प्रभावी समग्र-क्षय रोग उपचार जैसे उच्च-प्रभावी उपचार व्यवस्था के विकास और विस्तार में निवेश करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2020 में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के आरम्भ के बाद से उक्त कार्यक्रम के तहत वित्तपोषण के लिए वर्तमान में किए जा रहे आवंटन और उक्त निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा प्रकाशित वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में टीबी के मामलों की दर 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 था जो 2023 में 17.7% की गिरावट के साथ प्रति लाख जनसंख्या पर 195 रह गई है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) पूरे देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में लागू किया जाता है। राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मामले का पता लगाने की दर में सुधार लाने और अधिक प्रभावी टीबी उपचार व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- राज्य और जिला विशिष्ट रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से उच्च टीबी रोगभार वाले क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप।
- टीबी रोगियों को दवाइयां और निदान की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना।

- संवेदनशील और सह-रुग्ण प्रमुख आबादी में अभियानों के माध्यम से टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर को टीबी जांच और उपचार सेवाओं के साथ एकीकृत करना।
- टीबी मामलों की अधिसूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहनों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- आणविक निदान प्रयोगशालाओं को उप-जिला स्तर तक विस्तारित करना।
- टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए नि:क्षय पोषण योजना के अंतर्गत कवरेज का विस्तार।
- हीन भावना को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य आकांक्षी व्यवहार में सुधार लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी गहन हस्तक्षेप।
- टीबी उन्मूलन के लिए संबंधित मंत्रालयों के प्रयासों और संसाधनों को एकजुट करना।
- टीबी रोगियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों और कमजोर आबादी के लिए टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
- नि:क्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों पर नज़र रखना।
- नि:क्षय मित्र पहल के अंतर्गत टीबी रोगियों और संपर्क में आने वाले पारिवारिक सदस्यों को अतिरिक्त पोषण, नैदानिक और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना।

सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा प्रमाणित एवं अनुशंसित सभी नई औषधियां और उपचार व्यवस्थाएं लागू की हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 (29.01.2025 तक) के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अंतर्गत बजटीय आवंटन और इसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	बजटीय आवंटन (करोड़ रुपए में)	उपयोग (करोड़ रुपए में)
2020-21	3109.93	3097.98
2021-22	3409.94	2086.82
2022-23	1666.33*	910.83
2023-24	1888.82*	1179.68
2024-25#	2071.03*	2197.78

** वर्ष 2022-23 से आगे के आवंटन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया नकद अनुदान शामिल नहीं है, जिसे एनएचएम द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे एक सामान्य पूल अर्थात आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल के रूप में जारी किया जा रहा है, जिसमें टीबी रोग भी शामिल है।*

 # 29.01.2025 तक।

****